विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारितश्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-03 का उत्तर-

---

प्रश्न	उत्तर
3 (क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि दिनॉक 05 अक्टूबर, 2020 के उपरान्त शासन द्वारा निदेशक, होम्योपैथी उत्तर प्रदेश से कितनी उच्च स्तर पर सम्पन्न शासकीय बैठकों के कार्यवृत्तों पर अनुवर्ती कार्यवाहियॉ/सूचनाएं/आख्या/प्रस्ताव मांगे गये जिसे आज तक या निर्धारित समय सीमा के अन्दर निदेशक-होम्योपैथी उत्तर प्रदेश द्वारा आयुष अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया?	3 (क) दिनॉक 05 अक्टूबर, 2020 के उपरान्त शासन स्तर पर आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार शासन द्वारा निदेशालय से आख्या प्राप्त कर आवश्यक आदेश निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, ऐसा कोई प्रकरण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है जिसमें शासन के आदेशों के पश्चात निदेशक, होम्योपैथी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर शासन को आवश्यक प्रस्ताव/आख्या प्रस्तुत न किया गया हो।
(ख) होम्योपैथिक निदेशालय की कार्य प्रक्रिया में विलम्ब की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किये गये?	(ख) शासन द्वारा समय-समय पर बैठकों/अन्य माध्यमों से आवश्यक निर्देश होम्योपैथिक निदेशालय को दिये जाते रहें।
(ग) इन उपायों की कब-कब समीक्षा की गई?	(ग) आवश्यकतानुसार समय-समय पर समीक्षा की गयी।
(घ) क्या शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के लिये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करायेंगे?	(घ) कोई शिथिलता नहीं बरती गयी, अपितु किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।
(ड) यदि हॉ, तो कब तक?	(ड़) प्रश्न नहीं उठता।
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	(च) प्रश्न नहीं उठता।

डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु"
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आयुष विभाग।